## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
**पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या 35/2012**

**बउनवान**

मोडूलाल आयु 53 वर्ष पुत्र मथुरालाल, जाति मीणा निवासी बालापुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

**बनाम**

1. जानकीलाल पुत्र बृजमोहन, जाति बैरवा
2. मुकेश पुत्र बृजमोहन, जाति बैरवा
3. सूरजाबाई बेवा बृजमोहन, जाति बैरवा
4. फोरन्ताबाई पुत्र बृजमोहन, जाति बैरवा, निवासीगण मऊ, तहसील मांगरोल
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल **(अप्रार्थीगण)**

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17 राज. उपनिवेदश (भूमि आवंटन चम्बल परियोजना) अधिनियम 1957**

उपस्थित :– 1. ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2. श्री बालमुकुन्द गुर्जर अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

**निर्णय दिनांक 03.02.2023**

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 24/2010 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 22.03.2011 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (भूमि आवंटन चम्बल परियोजना) अधिनियम 1957 के तहत स्वीकार किया जाकर आवंटी बृजमोहन पुत्र तेजमल बैरवा निवासी मउ को किया गया आवंटन दिनांक 17.11.88 ग्राम बालापुरा खसरा नंबर 285 रकबा 8 बीघा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज किया जाकर वक्त आवंटन उक्त भूमि पात्र व्याक्ति को नियमानुसार आवंटन की जावे।

इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की जो प्रकरण संख्या 99/2011 पर दर्ज होकर निर्णय दिनांक 19.12.2011 से आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पैरा संख्या 8, 9 व 10 में किये गये विवेचन के आधार पर प्रस्तुत जमांबदियों के आधार पर अपीलांट का उनके पिता की आराजी में नोशनल शेयर निकाला जाकर यह निष्कर्ष [illegible] वो भूमिहीन की श्रेणी में आते थे अथवा नहीं। साथ ही आवंटन के तुरन्त [illegible] खसरा गिरदावरियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जावे कि [illegible] की है अथवा नहीं। तदुपरान्त नये सिरे से विधिसम्मत [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 19.12.2011 से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्देश की पालना में उभयपक्षकारान जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 19.12.2011 की प्रति

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

भेजाकर पैरा 8, 9 व 10 में किये गये विवेचन पर विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल से चाही गई। तहसीलदार मांगरोल से वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दौराने सेटलमेन्ट स्वंय के खाते की आराजी का रेकार्ड में रकबा कम होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल में अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही पेश की हुई है जो विचाराधीन है। ग्राम बालापुरा की आराजी खसरा नंबर 285 रकबा 8 बीघा बृजमोहन पुत्र तेजमल बैरवा निवासी मउ को दिनांक 17.11.88 को कीमतन आवंटन की गयी थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की तथा कीमत आवंटन जमा नहीं करवाई गयी। आवंटी ने अभी तक भूमि पर कब्जा भी प्राप्त नहीं किया है। अतः आवंटी का आवंटन निरस्त किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्तनीय है। आवंटी को पात्रता के आधार पर ही भूमि का आवंटन किया जाकर दखल दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवंटी को आंवटित भूमि पर कब्जा नही करने दिया गया। अप्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम बालापुरा व मऊ की जमाबंदीयों में दर्ज आराजी बृजमोहन के पिता के नाम है। आवंटी के हिस्से में भूमि नगण्य थी। वक्त आवंटन आवंटी भूमिहीन था। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 17.09.2014 अनुसार वक्त आवंटन आवंटी बृजमोहन के 0.12 है. नोशनल शेयर बनता था जो नगण्य था। अतः उसे भूमिहीन की श्रेणी में माना जा सकता है। परन्तु चूंकि भूमि आवंटन के पश्चात खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2052 तक कोई फसल दर्ज नहीं होना बताया है तथा संवत 2057–59 में भी कोई फसल दर्ज होना नहीं बताया है। अतः यह पूर्णतः साबित है कि भूमि आंवटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा कोई फसल काश्त नहीं की है। परन्तु संवत 2060, 2061, 2063 एवं 2064 में फसल दर्ज होना तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। आवंटी द्वारा कीमत राशि 2400/–रू. भी जमा नहीं करवाना आवंटन पत्रावली से साबित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना करना साबित नही होने से आवंटी का आवंटन ग्राम बालापुरा गत खसरा नंबर 285 से कायम हाल खसरा नंबर 436/820 का आवंटन दिनांक 17.11.88 आवंटन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। साथ ही यह भी आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिया जाता है कि उक्त भूमि पर अन्य किन्ही व्यक्तियों के अतिक्रमण है तो तुरन्त अतिक्रमण हटवाया जाए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.03 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)